कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश

संख्याःएम0ई0–3 / पी0जी0–2024 / 231 लखनऊ दिनांक 27 जनवरी, 2025

यू0पी0 नीट पी0जी0–2024(एम0डी0 / एम0एस0 / डीएन0बी0) की तृतीय चक्र की ऑनलाइन काउन्सिलिंग की च्वाइस फिलिंग के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश।

- निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज / विश्वविद्यालय में एम0डी0 / एम0एस0 पाठ्यक्रम मे प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती हैं कि च्वाइस फिलिंग के पूर्व सम्बन्धित कालेज के बारे मे सम्पूर्ण जानकारी अपने स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही च्वाईस फिल एवं लॉक करें।
- निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों की सीटो पर प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी, अल्पसंख्यक / गैर–अल्पसंख्यक कालेज / संस्थान / विश्वविद्यालय द्वारा लिये जाने वाले समस्त शुल्क **(Fee Structure)** विभागीय वेबसाईट www.dgme.up.gov.in तथा www.upneet.gov.in पर उपलब्ध है, का अवलोकन करने के पश्चात् ही च्वाईस फिल **(Choice Fill)** करें।
- **निजी क्षेत्र के गैर अल्पसंख्यक मेडिकल कालेजों द्वारा शुल्क निर्धारण के विरूद्व मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, बेंच लखनऊ में रिट याचिका संख्या–सी–10329 / 2024 जी0एस0 मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा अन्य याचिकाएं योजित की गयी है। जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.01.2025 के अनुकम में शुल्क निर्धारण शासन स्तर पर गठित फीस नियमन समिति के अन्तिम आदेशों के अधीन होगा।**
- अभ्यर्थी द्वारा राजकीय / निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज की सीटों पर प्रवेश हेतु वरीयता के आधार पर ऑनलाइन **Choice Fill** की जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा उन्ही कालेजों की च्वाईस भरी जाये, जिनमें प्रवेश हेतु वह इच्छुक है। ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।
- **आनलाइन च्वाइस फिलिंग के पश्चात च्वाइस लाक करना अनिवार्य है। च्वाइस लाक न करने की स्थिति में अभ्यर्थी को सीट आवंटन की प्रकिया में सम्मिलित नही किया जायेगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं अभ्यर्थी का होगा।**
- **अभ्यर्थी द्वारा Choice Lock करने के पश्चात उसमें किसी भी प्रकार के बदलाव अथवा परिवर्तन नहीं हो सकेगा और न ही इस संबंध में महानिदेशालय में प्राप्त किसी भी प्रार्थना–पत्र पर विचार किया जायेगा।**
- प्रथम / द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग से प्रवेशित ऐसे अभ्यर्थी, जो तृतीय चक्र की काउन्सिलिंग में कालेज / पाठ्यक्रम के पुनरावंटन **(Reshuffle)** हेतु इच्छुक है, वह उस कालेज / पाठ्यक्रम की च्वाइस न भरे, जिसमें उनके द्वारा प्रवेश लिया गया है, अन्यथा

की स्थिति में यदि पूर्व प्रवेशित सीट पुनः आवंटित हो जाती है, तो अभ्यर्थी को नोडल सेन्टर पर उपस्थित होकर पूर्व की भांति ही प्रवेश प्रकिया पूर्ण करनी होगी।

- अभ्यर्थी द्वारा पुनरावंटन हेतु दिये गये विकल्प के अनुसार अभ्यर्थी को यदि कोई अन्य सीट आवंटित हो जाती है, तो पूर्व में आवंटित सीट स्वतः रिक्त होकर किसी अन्य अभ्यर्थी को आवंटित हो जायेगी। पुनरावंटन न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा पूर्व प्रवेशित सीट यथावत् बनी रहेगी।
- **तृतीय चक की कांउसिलिंग में च्वाईस फिलिंग के समय अभ्यर्थियों को द्वितीय चक की अनावंटित (Unallotted)/अप्रवेशित (Not reported) एवं त्याग–पत्र (Resign) सीटें Clear-cut Vacancy के तौर पर प्रदर्शित होगी।**
- तृतीय चक की कांउसिलिंग में अभ्यर्थियों को **Seat Against Cancellation (SAC)** का विकल्प भी प्रदर्शित होगा। **SAC** सीटें एक प्रकार की **Virtual vacancies** है, जिसके अन्तर्गत च्वाईस फिलिंग के समय अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी की रिक्त सीटों के अतिरिक्त अन्य आरक्षित श्रेणी की सीटों का विकल्प भी प्रदर्शित होगा। आवंटन प्रकिया के समय यदि आरक्षित श्रेणी की कोई भी सीट रिक्त रह जाती है, तो ऐसी सीटों को शासनादेश संख्या–I/687326/2024 दिनांक 09 जुलाई 2024 में निहित तालिकानुसार आमेलित **(Merg)** करते हुये आवंटन प्रकिया सम्पन्न की जायेगी।
- काउन्सिलिंग के संबंध मे अद्यतन/महत्वपूर्ण सूचनाओं की जानकारी हेतु समय–समय पर विभागीय वेबसाइट **www.dgme.up.gov.in** तथा **www.upneet.gov.in** का निरन्तर अवलोकन करते रहे।

कृते महानिदेशक।